

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

मुंज 51/14 तारीख 27.10.14

उत्पान - शिव चरठा वनाभ घीस्या  
प्रार्थना पत्र अस्था की निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा  
नि. ने प्रार्थना पत्र अस्था की निषेधाज्ञा  
पेश किया गया। दर-तोके जो का अपलोकन  
किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर  
कर अपार्थीगणों को जरिये नोटिस से  
तलाब कर पत्रावली दिनांक 27.10.14 को पेश हो।

2331-43  
1-10-14

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

27/10/14 शर्मा वकील उप. अर्थात् नं. 7 बाबजूद सूफा  
उप. नहीं है उनके विकल एक पक्षीप कासिही  
अमल में लाई जाती है। अर्थात् नं. 1 ता. 6 की  
ओर से श्री रामश्रीही गुवां A.M.V. ने वकालतनामा  
पेश किया। अबाव पेश कैसे लगय-चाहा। वास्ते  
जबाब दिनांक 20.11.14 को पेश हो।

20/11/14 वकालत उप. वास्ते जबाब दि. 17.12.14  
को पेश हो।

17/12/14 वकालत उप. गतमुस्य वास्ते जबाब दिनांक  
21.1.15 को पेश हो।

फर्द अहकाम

वकूलाय उप० / आर्षी वकील ने जबाब के लिए समय चाहा। दिया गया। बालि जबाब दिनांक 8-12-15 को पेश हो।

2-15 वकूलाय उप० / जबाब पेश नहीं किया। समय पाहा। जबाब पेश करने पर समय दिया हुआ है। आगामी सुनवाई तिथि पर जबाब पेश नहीं किया जाता है तो जबाब बंद माना जायेगा। आगामी दि. 16-12-15 को पेश हो।

5-12-15 वकूलाय उप० / जबाब श.पत्र अस्थाई निवेदाना पेश किया। जमाना दिलाई गयी। वास्तु बहस दि. 13-1-16 को पेश हो।

3-1-16 वकूलाय उप० / बहस हेतु समय चाहा। दिया गया। वास्तु बहस दि. 15-1-16 को पेश हो।

5-1-16 वकूलाय उपस्थित। बहस सुनी गयी। आर्षी वकील ने कथन किया कि आर्षी पक्ष उग्र है तथा आर्षी। पिता हैं। आर्षी कार्यवर्ष रिस्सेदा है तथा उनी अमुक का बिज आगामी है यह कि

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>पार्थना पत्र में वर्णित आसकी गुफा रजोरी  पैतृक भूमि है जबकि अपार्थना।  जब (दली) भूमि को विद्वप करना चाहते  हैं। इसलिए तादावा केसला इन्टे शरी  रहन व्यप नहीं करने व लिखित एवं  मोका की यथास्थिति कोप रखने के  लिए पाबंद फ (माया) जेव वकील  जेर सापल ने जबब में वर्णित तथ्या  को दोहराते हुए कथन किया कि पार्थी  पुलिस विभाग में नोकरी वाला है तथा  जयपुर में रहता है भूमि पर कब्जा  नहीं है इसलिए पार्थना पत्र को  फ (माया) जेव।  वकील अभय प्रसा की कहसिपा  मनन किया / फ (वली) का आवलेशन  किया / यत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजों  से यह स्पष्ट होता है कि पार्थना पत्र  में वर्णित आसकी पत्र पैतृक भूमि है  जिसमें पार्थी का हिस्सा बर्ष वर्ष  बनता है आसकी पार्थना फ (माया) की मर</p>

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कसैली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

3

फर्द अहकाम

का उग्रियक्ष को तादावा फेसला पाबंद  
 किया जाता है कि ग्राम राजौली स्थित  
 भूमि खं.नं. 589, 572/1128, 511, 559, 562,  
 583, 585, 586, 590, 591, 592, 593,  
 594, 596, 613, 632, 633, 512, 718, 719,  
 722, 724, 866, 866/1207, 870/1198, 871/1197,  
 872/1196 में रहन विक्रय नही कर। रिफर्स  
 एवं मोटा की पथास्थिति क्नापरेव पत्रावली  
 फेसल शुभ्रप डोटा नवासे कम टोडा  
 दावा पत्रावली के साथ सैलजुन रहे

उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (कसौली)